राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

कमांकः-एफ-4(51)आरडी/नरेगा//09-10 जयपुर, दिनांक 13/10/09

23 OCT 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः-वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को सम्मिलित करने के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि मा. मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2009 को पंचायती राज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर नागौर में यह घोषणा की है कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्थापित किया जावेगा। इस संबंध में मां. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 8.10.09 को चर्चा उपरांत यह निर्देश दिये गये है कि भारत सरकार शीघ्र ही नरेगा के नियम की अनुसूची-1 में अनुमत कार्यों में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण विकास योजनाओं एवं आई.टी. सेवाओं की उपलब्धी सुनिश्चित करने हेतु राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण को अनुमत करेंगी। अतः आप वर्ष 2010-11 की वर्तमान में बनाई जा रही कार्य योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव भी सम्मिलित करावें।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)
परियोजना निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-
1- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्यक, समस्त(राजस्थान)।
2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,(समस्त)।
3- रक्षित पत्रावली।

13/10/09
परियोजना निदेशक, ईजीएस